

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... अवतार सिंह ..... बनाम ..... चमकौर सिंह आदि

प्रकरण संख्या ..... 34 / 2019 ..... अन्तर्गत धारा ..... 312 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जोड़ पाल
24/12/24	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय था। 71 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ी जाती है। पत्रावली वास्तु बहस दिनांक 22/01/25 को पेश हो।	
22/01/25	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अध्यापी निषेधाज्ञा दिनांक 13/06/19 मूलवाद के निर्णय तक रूपायी किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर मूलवाद के साथ सेलगत हो।	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर